कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक– /टी0आर0/5/सी0एन0जी0किट/2019–20 दिनांक 04 November ~~अक्टूबर~~, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में सीएनजी किट निर्माताओं द्वारा मोटर वाहनों में सीएनजी किट रिट्रोफिटमेन्ट लगाये जाने हेतु किट निर्माताओं द्वारा अपने किटों को अनुमोदन किये जाने के लिए परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष लिखित रूप में आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे–

(एक) रिट्रोफिटमेन्ट हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अधीन प्रोटोटाइप एजेन्सी का सीएनजी किट का टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र जो जारी होने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि का होगा।

(दो) इलैक्ट्रिक सर्किट डायग्राम।

(तीन) टेक्निकल स्पेसिफिकेशन।

(चार) सिस्टम के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण।

(पांच) पी0ई0एस0ओ0, नागपुर द्वारा जारी ऑटो सीएनजी टैंक एंव मल्टी वाल्व के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(छः) किट के साथ स्थापित किये जाने वाले फ्यूल टैंक के मानको के अनुरूप होने का प्रमाण–पत्र।

(सात) कम्पनी की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन निर्माता द्वारा ही वाहनों में किट रिट्रोफिटमेन्ट लगाये जाने हेतु कम्पनी की स्थापित कार्यशालाओं से सम्बन्धित शपथ–पत्र।

(आठ) परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकारियों को किट निर्माता द्वारा अपने किट के सम्बन्ध में निःशुल्क प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करने की लिखित सहमति ।

आवेदन–पत्र समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त होने पर किट निर्माता से माडल प्रदर्शन के रूप में किसी एक वाहन में किट लगाकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

2– अनुमोदन निम्नलिखित प्रतिबन्धों एंव शर्तों के अधीन प्रदान किया जाएगाः–

(1) किट रिट्रोफिटमेंट के साथ वाहन में लगाये जाने वाले ऑटो सीएनजी टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में सीसीओई के प्रमाण–पत्र की प्रति विक्रय के समय केता को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे केता द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) वाहन में किट रिट्रोफिटमेंट किट निर्माता की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन विनिर्माता द्वारा ही लगायी जाएगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं को जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

(3) किट के स्पेसिफिकेशन अथवा ले आउट में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना सम्बन्धित प्रोटोटाइप एजेन्सी को तत्काल देनी होगी और पुनः टाइप एप्रूवल प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(4) किट के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (ङ) के एनेक्जर IX एआईएस024 और एआईएस028 (आरईवी–1) में समय–समय पर यथा संशोधित–विनिर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जायेगा।

(5) प्रत्येक किट स्थापित करने वाला (kit Installer) यह सुनिश्चित करेगा कि लगायी जाने वाली किट सुरक्षित है तथा लगाये गये फ्यूल टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सम्बन्ध में सीसीओई प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(6) ऑटो सीएनजी टैंक वाहन में स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा।

(7) ऑटो सीएनजी टैंक निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही लगाया जाएगा।

(8) प्रोटोटाइप एजेन्सी से अनुमोदित किट का वाहन में रिट्रोफिटमेन्ट के पश्चात् विनिर्माता द्वारा वाहन स्वामी को सर्विस मैनुअल, आर्वतक निरीक्षण और अनुरक्षण की निर्देशिका, सर्विस, मरम्मत, अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान की जायेगी।

(9) किट निर्माता द्वारा किट उपयोगकर्ताओं को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

(10) किट निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (च) के एनेक्जर x के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) किट निर्माता द्वारा सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेन्ट के समय मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 की व्यवस्थाओं का अनुपालन करना होगा।

(12) किट निर्माता द्वारा मोटर वाहन में विधिमान्य तरीके से किट रिट्रोफिटमेन्ट न किये जाने और या विधि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में अनुमोदन रद्द कर दिया जाएगा।

(13) मोटर वाहनों में किट रिट्रोफिटमेंट के सम्बन्ध में किट निर्मात द्वारा परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा साथ ही इस विषय में परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त प्राविधानों के अनुसार ही राज्य में वाहनों में रिट्रोफिटमेंट करने हेतु सी0एन0जी0 किटों का अनुमोदन किया जाएगा। किट निर्माताओं द्वारा अनुमोदन प्राप्त किट ही वाहनों में फिट की जाएगी और ऐसी किट का विवरण ही संबंधित पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा।

(शैलेश बगौली)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–3460 /टी0आर0/5/सी0एन0जी0किट/2019–20 समदिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त पंजीयन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(शैलेश बगौली)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।